सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED NO. D (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 81] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24, 1979/चैत्र 3, 1901
No. 81] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24, 1979/CHAITRA 3, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1979

सा० का० नि० 260 (अ):—भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) की धारा 6 की उप धारा (2) द्वारा अपेक्षित रूप में, तूतीकोरिन महापत्तन (बन्दरगाह यान) संशोधन नियम, 1978 का प्रारूप, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 1312, तारीख 20 अक्तूबर, 1978 के अधीन, भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3 (i) तारीख 4 नवम्बर, 1978 पृष्ठ 2505-2506 पर प्रकाशित किया गया था, जिसमें, उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव मांगे थे जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी ;

और उक्त राजपत्र जनता को 13 नवम्बर, 1978 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से कोई आपत्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन महापत्तन (बन्दरगाह यान) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. तूतीकोरिन महापत्तन (बन्दरगाह यान) नियम, 1976 में :—

(1) नियम 3 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(2) इस नियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी —

(i) ऐसा यान जो किसी पोत या स्टीमर के उपस्कर का भाग रूप है, जब तक कि वह लाभ के लिए यात्रियों या स्थोरा का वहन नहीं करता ;

(ii) ऐसा यान जिसे एकमात्र आमोद-प्रमोद के प्रयोजनों के लिए रखा गया है और जिसका लाभ के लिए यात्रियों या स्थोरा का वहन करने से कोई संपर्क नहीं है ;

(iii) ऐसा यान जो पत्तनों का है ।"

(2) नियम 12 के उपनियम (2) के नीचे के स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस उपनियम के प्रयोजनार्थ, सभी ऐसी मरम्मतें, जिनमें यान की तरण योग्यता को प्रभावित करने वाले प्रतिस्थापन या नवीकरण अन्तर्वलित है, बड़ी मरम्मतें समझी जाएंगी",

(3) नियम 13 के उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"(2)(क) पत्तन के भीतर चलने वाला प्रत्येक अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान, अपने साथ उतने जीवन जैकेट ले जाएगा, जितने उस पर व्यक्ति हैं, जिसके अन्तर्गत यात्री और कर्मीदल भी हैं,

(ख) जीवन जैकेट के अतिरिक्त यान में प्रत्येक दो व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत यात्री और कर्मी दल भी है, के लिए एक की दर से किन्तु कम से कम दो, जीवन बोया ले जायगा ।

(ग) जीवन बोया के बदले, व्यक्तियों, जिनके अन्तर्गत यात्री और कर्मीदल भी है, की कुल संख्या को ले जाने के लिए पर्याप्त तरणशील साधित्र की व्यवस्था की जा सकती है ।

(घ) जीवन बोया या तरणशील साधित्र परिवहन मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित नमूनों के होंगे ।

(ङ) बन्दरगाह यान में ले जाए जाने वाले ऐसे सभी बोया और तरणशील साधित्र को, उपसंरक्षक के समाधानप्रद रूप में इस प्रकार रखा जाएगा कि पलक पर व्यक्ति सुगमता से उन तक पहुंच सकें ।"

(4) नियम 19 में, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान में टिण्डल द्वारा अधिक लदान पाये जाने की दशा में ऐसे यान को अनुज्ञप्ति जारी किए जाने संबंधी शर्तों के अनुरूप बनाने के लिए, यथास्थिति, केवल उन्ही यात्रियों को यान छोड़ने के लिए या स्थोरा की उस मात्रा को हटाए जाने के लिए कहा जाएगा, जो अनुज्ञप्ति में यथा विनिर्दिष्ट विहित सीमा के पश्चात्, यान में प्रविष्ट हुए थे या यान लादा गया था ।"

(5) नियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा, अर्थात् :—

"25 स्वामी द्वारा अपने यान पर नियोजित टिण्डल या कर्मीदल के किसी सदस्य के कार्यों के लिए स्वामी का दायित्व—यान का स्वामी, इन नियमों के उपबन्धों के अधीन यान को चलाते समय, अपने द्वारा अपने यान पर नियोजित टिण्डल या कर्मीदल के किसी सदस्य के किन्ही कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा ।"

(6) नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा अर्थात् :—

"26 अनुज्ञप्तियों का प्रतिसंहरण :—यदि उप-संरक्षक की राय में, किसी अनुज्ञप्त बन्दरगाह यान के स्वामी या टिण्डल या कर्मीदल के किसी सदस्य ने इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है, तो वह, किसी अन्य कार्रवाई पर, जो उस उल्लंघन की बाबत ऐसे स्वामी के विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और उसे सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात्, ऐसे स्वामी द्वारा धारित सभी या किसी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा ।"

(7) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"32 शास्तियाँ अधिरोपित करने की प्रक्रिया :—ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिस पर इन नियमों के उपबंधों में से किसी के भंग का दोष लगाया गया है, ऐसे अपराध के लिए किसी शास्ति की बाबत विनिश्चय करने के पूर्व, सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और इन नियमों के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति को, जिस पर ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, सुनवाई का उचित अवसर न दे दिया गया हो ।"

[सं० पी० जी० एल०-76/77]

सुदर्शन वसुदेव, अवर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 1979

G.S.R. 260(E).—Whereas a draft of the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Amendment Rules, 1978, was published as required by sub-section (2) of section 6 of the Indian Ports Act, 1908 (15 of 1908), at pages 2505-2506 of the Gazette of India Part II—Section 3(i), dated the 4th November 1978, under the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. G.S.R. 1312, dated the 20th October, 1978, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette ;

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 13th November, 1978 ;

And whereas no objections and suggestions have been received from the public ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port of Tuticorin (Harbour Craft) Rules, 1976,

(1) for sub-rule (2) of rule 3, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) Nothing in this rule shall apply to :—

(i) any craft forming part of the equipment of a ship or steamer unless it carries the passengers or cargo for profit ;

(ii) any craft maintained solely for purpose of pleasure and not connected with the carrying of passengers or cargo for profit ;

(iii) any craft belonging to the port".

(2) for the Explanation under sub-rule (2) of rule 12, the following Explanation shall be substituted, namely :—

"Explanation—For the purpose of this sub-rule, all the repairs which involve replacement or renewals affecting sea-worthiness of the craft shall be deemed to be major repairs".

(3) for sub-rule (2) of rule 13, the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) (a) Every licenced harbour craft plying within the port shall carry as many number of life jackets as there are number of persons including passengers and crew.

(b) In addition to life jackets, craft shall carry life buoys at the rate of one for every two persons including passengers and crew, subject to minimum of two numbers of life buoys in every harbour craft.

(c) In lieu of life buoys, buoyant apparatus sufficient to carry the total number of persons including passengers and crew may be provided.

(d) The life buoys or buoyant apparatus shall be of the pattern as approved by the Ministry of the Government of India dealing with the Transport.

(e) All buoys and buoyant apparatus carried in the harbour craft shall be stowed to the satisfaction of the Deputy Conservator and so as to be readily accessible to the persons on board.";

(4) in rule 19, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that in the event of a licenced harbour craft being found over-loaded by the tindal, only those passengers who entered the craft or the quantity of cargo that was loaded after the prescribed limit as specified in the licence, shall be asked to leave or that quantity of cargo to be removed, as the case may be, to comply with the conditions of the assignment of the issue of licence";

(5) for rule 25, the following rule shall be substituted, namely :—

"25. Liability of the owner for the acts of tindal or any member of the crew employed by him on his craft—The owner of the craft shall be responsible for any acts of tindal or any other member of the crew employed by him on his craft. While plying the craft under the provisions of these rules";

(6) for rule 26, the following rule shall be substituted, namely :—

"26. Revocation of licences ;—If in the opinion of the Deputy Conservator, the owner of any licensed harbour craft or tindal or any member of the crew has contravened any of the provisions of these rules, he may, without prejudice to any other action that may be taken against such owner in respect of the contravention, and after giving him a reasonable opportunity of being heard cancel all or any of the licences held by the owner.";

(7) for rule 32, the following rule shall be substituted, namely :—

"32. Procedure for imposing penalties :—Every person on whom a charge of breach of any of the provisions under these rules are made shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is decided for such offence, and that no order imposing a penalty under these rules shall be made except after giving the person on whom such penalty is proposed to be imposed a reasonable opportunity of being heard."

[PGL-76/77]

S. VASUDEV, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1979